न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या

44 / 2022

श्री प्रभूलाल गुर्जर पुत्र बजरंग लाल गुर्जर मु0पो0 लाम्बाकला तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राज0

--अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव नायब तहसीलदार बरवास जिला टोंक

--प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक **26.12.2022**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव नायब तहसीलदार बरवास को आवेदन पत्र दिनांक 13.09.2022 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः-

1-दिनांक 07.06.2022 को खसरा नम्बर 1213/2814,1218/1.77,1219/3.07 कुल रकबा 5.01 चालान राशि 100+300=400 रूपये दिनांक 10.06.2022 को मेरे पिता के खेत पर नाप करवाने बाबत सीमाज्ञान का आदेश करवाया था जो कि आज दिनांक तक मेरे खेत का नाप नही हुआ जबकि सभी आस-पास के खेत खाली पडे है। मेरे खेत को प्रभावशाली व्यक्तियो ने दबा रखा हैं आये दिन मुझसे लडाई-झगडा करते रहे है। लडाई-झगडा विवादित मामला का निस्तारण करवाने हेतु सीमाज्ञान सेटेलाईट करवाकर मेरी जमीन पर तारबंदी करवाने हेतु 01.04.2022 को कृषि विभाग मे ऑललाईन करवा रखा है। पडोसी आवारा पशु मुझे हानि पहुँचा रहे है मेरे खेत का सीमाज्ञान हल्का पटवारी क्यो नही कर रहा है ? कारण बताओ।

2-खसरा नम्बर 1220 क्षै0 44 क0सं01 नानगी पत्नि मोडू हि0 1/6 दिनांक 06.04.2010 को पोत हो गई,जिसका नामान्तकरण वारिस क0सं0 3 बजरंगा पुत्र मोडू गुर्जर है। 12 साल मे भी नामान्तकरण नही खुला कई बार मृत्यु प्रमाण दस्तावेज दे चुका हूँ? कारण बताइये।

3-40 X 20 X 9 फीट पत्थर ईट की 2 दीवार मेरे खातेदारी बाडे मे पशु आश्रम हेतु करवाया था जो कि दोनो दीवार धराशायी हो गई। मुझे करीब एक लाख रूपया का आर्थिक नुकसान हुआ जिसकी शिकायत मैने राज0 सर्म्पक पोर्टल पद दर्ज करवायी 2 सितम्बर को परिवाद निस्तारण किया हल्का पटवारी ने गलत रिपोर्ट बनाकर प्रस्तुत की जिसमे परिवादी सन्तुष्ट नही है दुबारा जांच करवाये, न्यायालय की शरण मे जायेगे जिसकी समस्त जिम्मेदारी हल्का पटवारी की होगी।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव नायब तहसीलदार बरवास को पत्र क्रमांक 1578 दिनांक 7.11.2022,1594 दिनांक 14.11.2022,1652 दिनांक 28.11.2022 व 1683 दिनांक 08.12.

जिला कलेक्टर
टोंक

2022 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव नायब तहसीलदार बरवास ने उनके पत्र कमांक आर.टी.आई/2022/268 दिनांक 09.12.2022 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबध में अपीलार्थी को उनके पत्र कमांक 426 दिनांक 29.09.2022 से सूचना के संबंध में सूचित किया जा चुका है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव नायब तहसीलदार बरवास तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(चिन्मयी गोपाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एवं जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)